बिहार सरकार

गृह विभाग

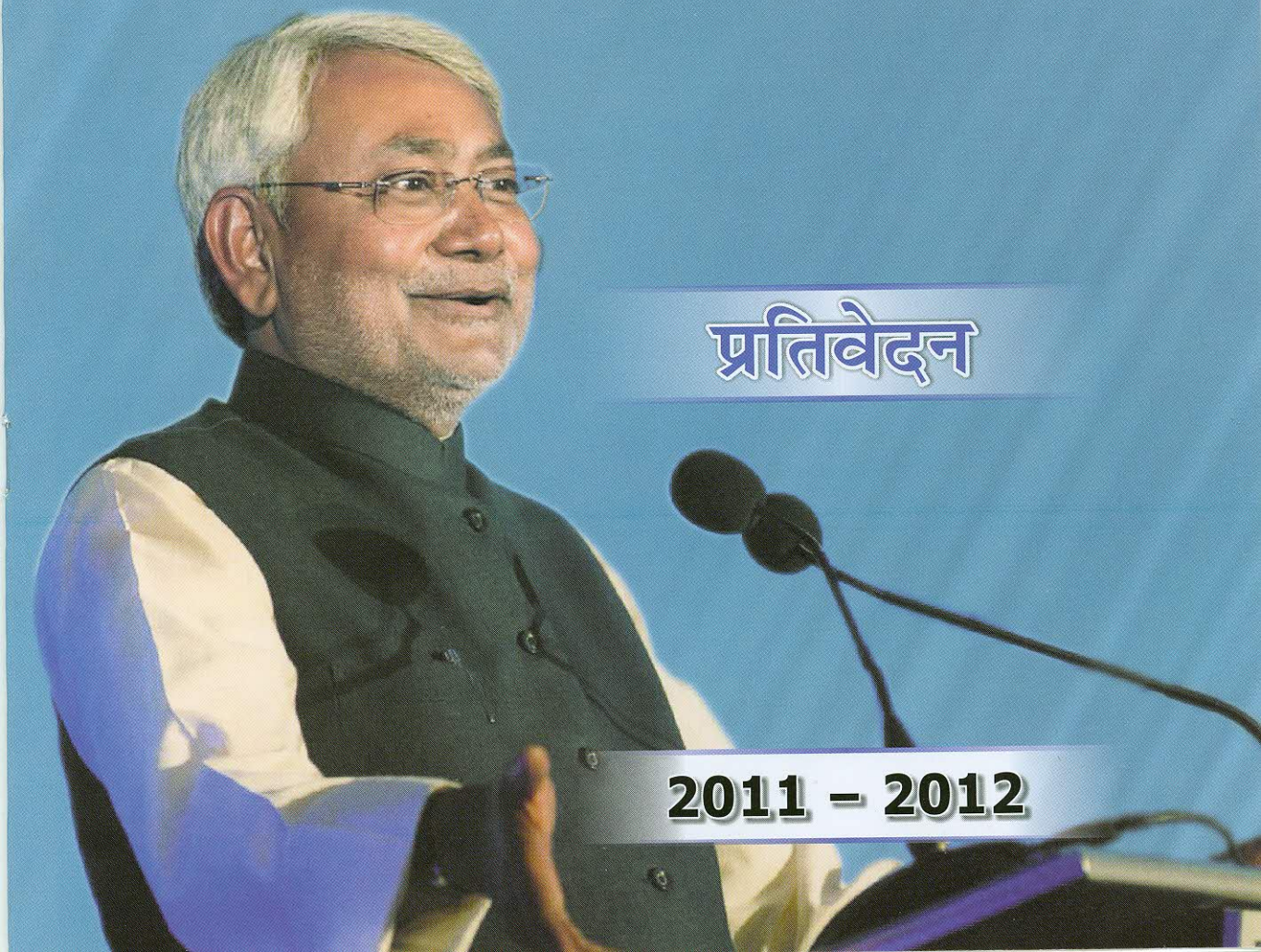

प्रतिवेदन

2011 – 2012

गृह विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन 2012

सरकार की प्राथमिकता है कि लोगों की सुरक्षा, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण हो। इस दिशा में सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों से विगत वर्षों में समाज के सभी वर्गों का पुलिस प्रशासन पर विश्वास बढ़ा है तथा आम जनता में आत्मविश्वास एवं राज्य के विकास का संचार हुआ है। साम्प्रदायिक एवं जातीय सौहार्द कायम है। अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार के मामले का भी विचारण प्राथमिकता के आधार पर हो, इस पर भी कारगर कार्रवाई की जा रही है।

सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य में कानून का शासन स्थापित करना है जिसके तहत सभी प्रकार के अपराधों, विशेष कर फिरौती हेतु अपहरण कांडों पर अंकुश लगाना शामिल है। फलस्वरूप 2004 में जहाँ 411 फिरौती के लिए अपहरण के कांड प्रतिवेदित हुए वहीं इसके बाद इसमें लगातार कमी आई और वर्ष–2011 में मात्र 57 मामले प्रतिवेदित हुए हैं। अपराध के सभी कांडों की प्राथमिकी दर्ज हो, इसके लिए भी सरकार सत्त प्रयत्नशील है।

सरकार की प्राथमिकता सिर्फ अपराध नियंत्रण की ही नहीं बल्कि अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार के मामलों का विचारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाय, इस पर भी कारगर कार्रवाई की जा रही है।

महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राज्य के सभी 40 जिलों (दो पुलिस जिला बगहा एवं नवगछिया सहित) में एक–एक महिला थाना स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। अब तक 16 महिला थाने स्थापित किए जा चुके है एवं शेष को स्थापित करने की कार्रवाई चल रही है।

अपराध नियंत्रण में स्पीडी ट्रायल का योगदान महत्वपूर्ण है। वर्ष 2006–11 तक कुल 68118 अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा मिली, जिसमें 134